

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/रा.न्या.से./सिविल न्या.संवर्ग/2017/1104 दिनांक : 18.11.2017

## सिविल न्यायाधीश संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा, 2017

- राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत सिविल न्यायाधीश संवर्ग में, परिवीक्षा पर (On Probation) वेतनमान-रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के 35 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाईन प्रारूप (Online Format) में ऑनलाईन आवेदन (Online Application) आमंत्रित किए जाते हैं।

## विशेष नोट:-

- Online Application भरने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (यथा संशोधित), विस्तृत विज्ञापन, Online Application भरने के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों (Instructions) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेवे, जो राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट <http://www.hcrj.nic.in> एवं ई-मित्र के पोर्टल <http://emitra.gov.in> पर उपलब्ध है।
- आवेदक Online Application में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करे। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

## 2. रिक्त पदों एवं आरक्षण का विवरण:-

Total No. of posts	Year	General	Reserved			Persons with Disabilities (Differently Abled)
			SC	ST	OBC	
31	Current vacancies	18 out of which, 05 posts reserved for women	4 out of which, 1 post reserved for woman	3	6 out of which, 1 post reserved for woman	Out of 31 vacancies, 1 post for suffering from Hearing Impairment
4	Backlog	-	1 (Backlog)	3 (Backlog)	-	-

विशेष नोट:- 1. विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करें।

- भरतपुर और धौलपुर जिले के जाट समुदाय के अभ्यर्थियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर आरक्षण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक : F.11 (125)/OBC/जाट/R&P/SJED/2016/48825 दिनांक 23.08.2017 के तहत देय होगा।

## नोट:-

- उपरोक्त रिक्त पदों की संख्या में नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञापन/शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जायेगा।
- महिलाओं हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से होगा अर्थात् जिस श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग) की महिला आवेदक चयनित होगी, उसे सम्बन्धित श्रेणी, जिसकी वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।
- निःशक्तजन के आरक्षण के संन्दर्भ में:-
  - Rajasthan Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2011 के अनुसार निःशक्तजन के लिए दर्शाये गये उपरोक्त आरक्षित पद Hearing Impairment अक्षमताओं की प्रकृति वाले आवेदकों के लिये आरक्षित है।
  - निःशक्तजन हेतु आरक्षित पद का आरक्षण भी दण्डवत (Horizontal) रूप से होगा अर्थात् जिस श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग/महिला) का निःशक्त आवेदक चयनित होगा, उसे संबंधित श्रेणी (Category), जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जावेगा।

*[Signature]*  
18.11.17

(स) निःशक्तजन की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर अपनी निःशक्तता के संबंध में Rajasthan Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2011 एवं निदेशालय विशेष योग्यजन, राजस्थान सरकार के परिपत्र संख्या एफ16(1)वि.यो. /15/7970 दिनांक 16/9/2015 के अनुसार सम्पूर्ण भारतवर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। Rajasthan Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Rules, 2011 के अनुसार सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता दर्शाते हुए जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र धारक आवेदक ही निःशक्तजन हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध चयन एवं नियुक्ति के लिए पात्र माना जायेगा।

4. राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (यथासंशोधित) में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा।
5. महिलाओं एवं निःशक्तजन के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को भी राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (यथासंशोधित) में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा।
6. विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
7. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जावेगा।
8. सामान्य वर्ग के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक होगा।
9. सेवा में नियुक्ति पर अभ्यर्थियों को नियमानुसार परिवीक्षा काल पर रखा जायेगा।
10. पेंशन-नियमानुसार।

### 3. शैक्षणिक योग्यता:-

1. कोई भी अभ्यर्थी सेवा में भर्ती के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत में विधि द्वारा स्थापित तथा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन इस रूप में मान्य किसी भी विश्वविद्यालय की विधि स्नातक (व्यावसायिक) की उपाधि धारित ना करता हो।  
(No Candidate shall be eligible for recruitment to the service unless he holds a degree of Bachelor of Laws (Professional) of any University established by Law in India and recognised as such under the Advocates Act, 1961)
2. प्रत्येक अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी भाषा तथा राजस्थानी बोलियों एवं सामाजिक रूढ़ियों (रीति-रिवाज) (Rajasthani Dialects and Social Customs of Rajasthan) का पूर्ण (Thorough) ज्ञान रखने वाला होना चाहिए।

**नोट:- विधि स्नातक (व्यावसायिक) अर्थात् LL.B.(Professional) अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र है लेकिन उसे मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व उक्त परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का प्रमाण (Proof) देना होगा।**

### 4. आयु:-

आवेदक 1 जनवरी, 2018 को 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो किन्तु 35 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर चुका होना चाहिए; **लेकिन:-**


1. राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला श्रेणी (Category) के आवेदकों के मामले में ऊपरी आयु सीमा को 5 वर्ष तक शिथिल किया जाएगा।
2. राजस्थान राज्य, पंचायत समितियों, जिला परिषदों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवारत व्यक्तियों के सम्बन्ध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
3. विधवा/तलाकशुदा महिलाओं के मामलों में ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष होगी।

**स्पष्टीकरण:-** विधवा महिला अभ्यर्थी के मामले में उसे साक्षात्कार के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र (Death Certificate) प्रस्तुत करना होगा तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी के मामले में उसे विवाह-विच्छेद (Divorce) का प्रमाण (Proof) प्रस्तुत करना होगा।

### 5. परीक्षा शुल्क:-

आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क देय होगा :-

- (क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/अन्य राज्य के आवेदक हेतु ₹ 850/-
- (ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु ₹ 550/-

  
18.11.17

(ग) राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक तथा नियमानुसार पात्रता धारक समस्त निःशक्तजन आवेदक हेतु ₹ 300/-

6. **नियुक्ति के लिए निरर्हताएँ:-**

कोई भी व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये या सेवा में बने रहने के लिए योग्य (Qualified) नहीं होगा:-

- (क) यदि उसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है।
- (ख) यदि वह किसी उच्च न्यायालय, सरकार या सांविधिक निकाय (Statutory Body) या स्थानीय प्राधिकारी (Local Authority) द्वारा सेवा से पदच्युत किया गया (Dismissed) या हटाया गया (Removed) है।
- (ग) यदि वह नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था या किया गया है (If he was or is convicted for any offence involving moral turpitude) या किसी भी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होने से किसी उच्च न्यायालय या संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा स्थायी रूप से विवर्जित (Debarred) या निरर्हित (Disqualified) किया गया है।
- (घ) यदि उसे अधिवक्ता रहते हुए अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम, 25) या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन वृत्तिका अवचार (Professional Misconduct) का दोषी पाया गया हो।
- (ङ) यदि राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के प्रारम्भ की तारीख को/या के पश्चात् उसके दो से अधिक संतान (Children) हो :

परन्तु किसी आवेदक को, जिसके दो से अधिक संतान (Children) है, नियुक्ति के लिए जब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा तब तक कि उसकी संतानों की संख्या में, जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को है, कोई बढ़ोतरी (Increase) नहीं होती है :

परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्ववर्ती प्रसव (Earlier Delivery) से केवल एक ही संतान है किन्तु किसी पश्चात्वर्ती एकल प्रसव (Single Subsequent Delivery) से उसके एक से अधिक संतान पैदा हो जाती है, वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई (Entity) समझा जायेगा।

**स्पष्टीकरण:-** इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से 280 दिन के भीतर पैदा हुई संतान निरर्हता का गठन नहीं करेगी (Shall not Constitute Disqualification)।

**नोट:-** राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 दिनांक 19.01.2010 को लागू (Commence) हुए हैं।

- (च) यदि वह अपने विवाह के समय दहेज (Dowry) स्वीकार कर चुका है या करता है।

**स्पष्टीकरण:-** इस खण्ड में शब्द "दहेज" का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 26) में समनुदिष्ट (Assign) किया गया है।

7- **परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम :-**

- (1) The competitive examination for the recruitment to the post of Civil Judge shall be conducted in two stages i.e. Preliminary Examination and Main Examination. The marks obtained in the Preliminary Examination by the candidate who are declared qualified for admission to the Main Examination will not be counted for determining final merit.

- (2) The number of candidate to be admitted to the Main Examination will be fifteen times the total number of vacancies (category-wise) but in the said range all those candidates who secure the same percentage of marks on the last cut-off will be admitted to the Main Examination.

**Note:-** To qualify for Main Written Examination, the candidates of SC/ST category shall have to secure minimum 40% marks and candidates of all other categories shall have to secure 45% minimum marks in the Preliminary Examination.

- (3) The number of candidates to be admitted to the interview shall be, as far as practicable, three times the total number of vacancies category-wise :


Provided that to qualify for interview, a candidate shall have to secure a minimum of 35% marks in each of the law papers and 40% marks in aggregate in the Main Examination;

Provided further that a candidate belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, shall be deemed to be eligible for Interview, if he has obtained minimum of 30% marks in each of the law papers and 35% marks in the aggregate in the Main Examination.

- (4) It shall be compulsory to appear, in each and every paper of written test, as also before the Interview Board for viva voce. A candidate, who has failed to appear in any of the written paper or before the board for viva voce shall not be recommended for appointment.

- (5) The examination scheme for recruitment to the cadre of Civil Judge shall consist of :-

- I. Preliminary Examination (Objective Type)
- II. Written Main Examination (Subjective Type)
- III. Interview

  
18.11.17

- I. **Preliminary Examination:-** The Preliminary Examination shall be an objective type examination in which 70% weightage will be given to the subjects prescribed in syllabus for Law Paper-I and Law Paper-II, and 30% weightage shall be given to test proficiency in Hindi and English language. The maximum marks for Preliminary Examination shall be 100 in which number of questions to be asked shall also be 100. However, there shall be no negative marking for wrong answers in Preliminary Examination. The duration of Preliminary Examination shall be of 2 hours. The marks obtained in the Preliminary Examination shall not be counted towards the final selection.

**Syllabus for Preliminary Examination**

1. **Law :** Same as prescribed for Law Paper I & II for Main Examination.

2. **Hindi Proficiency :**

- शब्द रचना : सन्धि एवं सन्धि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय।
- शब्द प्रकार : (क) तत्सम, अर्द्धतत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी।  
(ख) संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय (क्रिया विशेषण, सम्बन्ध सूचक, विस्मयबोधक निपात)।
- शब्द ज्ञान : पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्मों का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, सम्बन्धवाची शब्दावली।
- शब्द शुद्धि।
- व्याकरणिक कोटियाँ : परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति(Mood), पक्ष(Aspect), वाच्य(Voice)।
- वाक्य रचना।
- वाक्य शुद्धि।
- विराम चिन्हों का प्रयोग।
- मुहावरे/लोकोक्तियाँ।
- पारिभाषिक शब्दावली : प्रशासनिक, विधिक (विशेषतः)।

3. **English Proficiency :**

- Tenses
- Articles and Determiners
- Phrasal Verbs and Idioms
- Active & Passive Voice
- Co-ordination & Subordination
- Direct and Indirect Speech
- Modals expressing various concepts-  
(Obligation, Request, Permission, Prohibition, Intention, Condition, Probability, Possibility, Purpose, Reason, Companions, Contrast)
- Antonyms and Synonyms.

- II. **Written Main Examination:-** The Main Examination shall consist of following subjects:

S.No.	Subjects	Paper	Marks	Duration
1.	Law	Paper-I	100	3 Hours
2.	Law	Paper-II	100	3 Hours
3.	Language	Paper-I Hindi Essay	50	2 Hours
		Paper-II English Essay	50	2 Hours
4.	Interview	--	35	--

**Syllabus for Main Examination**

**Law Paper (I)-**

The Arbitration and Conciliation Act, 1996, Code of Civil Procedure, 1908, The Constitution of India, The Indian Evidence Act, 1872, Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956, Hindu Marriage Act, 1955, Hindu Minority and Guardianship Act, 1956, Hindu Succession Act, 1956, Indian Partnership Act, 1932, Indian Contract Act, 1872, Indian Easements Act, 1882, The Legal Services Authorities Act, 1987, The Limitation Act, 1963, The Motor Vehicles Act, 1988 (Chapter X, XI & XII and The Second Schedule), Negotiable Instruments Act, 1881 (Chapter II, III, IV, VI, IX, XII and XIII), The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, The Registration Act, 1908, The Sale of Goods Act, 1930, The Specific Relief Act, 1963, The Transfer of

*[Signature]*  
18.11.17



Property Act, 1882, Interpretation of Statues, Law of Torts, Legal Maxims, Muslim Law, Rajasthan Relief of Agricultural Indebtedness Act, 1957, The Rajasthan Court Fees & Suits Valuation Act, 1961, The Rajasthan Land Revenue Act, 1956, The Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Chapter I, IV, VII, X, XI, XII and XIII), The Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, The Rajasthan Rent Control Act, 2001, The Rajasthan Stamp Act, 1998, The Rajasthan Tenancy Act, 1955, General Rules (Civil), 1986 and Judgment Writing.

Paper is designed to test the practical knowledge of the candidates in civil law and procedure e.g. drafting, pleadings, framing issues and writing out judgments etc. in civil cases.

#### **Law Paper (II)-**

The Code of Criminal Procedure, 1973, The Electricity Act, 2003 (Chapter XIV), The Indian Evidence Act, 1872, The Indian Penal Code, 1860, The Information Technology Act, 2000, The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, The Negotiable Instrument Act, 1881 (Chapter XVII), The Probation of Offenders Act, 1958, The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, General Rules (Criminal), 1980 and Judgment Writing.

Paper is designed to test the practical knowledge of the candidates in criminal law and procedure e.g. framing charges and writing out the judgments etc. in criminal cases.

**Language Paper-I Hindi Essay** - Essay writing in Hindi language.

**Language Paper-II English Essay** - Essay writing in English language.

#### **III. Interview:-**

In interviewing a candidate, the suitability for employment to the service shall be tested with reference to his record at the School, College and University, and his character, personality, address and physique. The questions, which may be put to him, may be of a general nature and will not necessarily be academic or legal. The candidate will also be put questions to test his general knowledge including knowledge of current affairs and present-day problems. Marks shall also be awarded for the candidate's proficiency in the Rajasthani dialects and his knowledge of social customs of Rajasthan. The marks so awarded shall be added to the marks obtained in the written test by each candidate.

#### **List of candidates:-**

After interview, a list of the candidates shall be prepared in the order of their performance on the basis of their aggregate marks. If two or more of such candidates obtain equal marks in the aggregate, they shall be arranged in the order of merit on the basis of their general suitability for service and their names shall be recommended for appointment accordingly:

Provided that a candidate of Scheduled Castes or Scheduled Tribes category shall not be recommended for appointment unless he obtains minimum 35% marks in the aggregate of written examination and the interview, and, in the case of other candidates, unless he obtains minimum 40% marks in the aggregate of written examination and the interview;

Provided further that no candidate shall be recommended who fails to obtain minimum 25% marks in the interview.

#### **Note :**

1. Recommendation of a candidate for appointment shall be subject to amendments in Rule 24 of RJS Rules, 2010, if any, before the interview
2. The general suitability for service of the candidates securing equal aggregate marks in Main Examination and Interview shall firstly be determined on the basis of higher marks obtained in the Interview and in case, the candidates secure equal marks even in Interview the merit shall be determined having regard to age i.e. the candidate, older in age shall be given higher place in merit.

  
18.11.17

विशेष नोट :- परीक्षा की स्कीम व पाठ्यक्रम राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट <http://www.hcraj.nic.in> पर भी उपलब्ध है।

8. महत्वपूर्ण तिथियां :-


ऑनलाईन आवेदन भरने की समय सीमा दिनांक 23.11.2017 से दिनांक 21.12.2017 रात्रि 11:59 बजे तक।

9. आवेदन प्रक्रिया :-

1. Candidates must have valid SSO credentials (ID and password) to apply for the post. If candidate does not have the same, he/she can register himself/ herself on <https://sso.rajasthan.gov.in/signin>
2. Candidates can apply directly through **online mode** by sitting at their home/ cyber café, with the computer connected with internet.
3. Candidates can also apply for the post through various **emitra kiosks**, where candidate has to pay requisite emitra services charges for filling of the application.
4. Candidates must carry their scanned photo image and signature image in soft format, which shall be used while filling the application
  - a. Photo size should be between: 50 KB to 100 KB
  - b. Signature file size should be between: 20 KB to 50 KB
5. Provide correct personal email ID and mobile number while filling the form.

## Application Process Flow - Online mode:

1. Recruitment Application shall be available in Single Sign On (SSO) system of Government of Rajasthan.
2. Candidates who already possess their respective SSO login ID and Password, shall be able to login in SSO (URL: <https://sso.rajasthan.gov.in/signin> ).
3. Candidates who do not possess SSO login ID and Password shall have to register themselves on above mentioned URL. (Click on **Register** button to register yourself).
4. Once Candidate logs in SSO, they shall be able to see link with name "Recruitment Portal"



5. Candidate shall be redirected to Recruitment portal login page (Candidate Dashboard).
6. Candidate shall be able to see respective recruitment under **Ongoing Recruitment** tab, from where he/she can apply for the post.
7. Candidate shall fill the complete Application form as given and finally shall pay the required fee.
8. Application/ Examination Fee can be paid online (through net banking/ debit card or credit card etc.)

*[Handwritten Signature]*  
18.11.17

9. This is to be noted that, Application shall be completed only when candidate's unique application Number is generated after paying the fee.
10. Candidates are required to take print out of the application form, this is to be kept by candidate himself.
11. Candidate shall be able to see his application form, admit card etc. in his login under recruitment portal anytime.

## Application Process Flow – Through emitra kiosk

1. Candidate can go to nearest emitra centers to get his application filled.
2. Emitra center shall fill the form on candidate's behalf. Candidate shall pay prescribed Application fee (as asked by Rajasthan High Court) and emitra services charges (as applicable) for filling of the application.
3. Candidates shall get print out of application form, which shall have application Number mentioned on it.

Note:

1. Please fill in correct information while filling the form, your form may get rejected if any information is found to be incorrect or partially filled.
2. Application form once submitted, shall not be edited. Make sure you are filling correct and complete information while filling the form.
3. Make sure Application form is generated and application number is printed on the form. Application number on form indicates that your form is filled and fee is submitted.

### 10. ऑनलाईन आवेदन करने की समय सीमा:-

ऑनलाईन आवेदन (Online Application) भरने की समय सीमा दिनांक 23.11.2017 को प्रातः 11.00 बजे से प्रारम्भ होकर अन्तिम दिनांक 21.12.2017 को रात्रि 11:59 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत ऑनलाईन आवेदन के पोर्टल का लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक व समय का इन्तजार किए बिना निर्धारित समय सीमा के अन्दर यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाईन आवेदन करें। ई-मित्र कियोस्क/नागरिक सेवा केन्द्र (C.S.C.) तथा नेट-बैंकिंग (Net-Banking) या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि, ऑनलाईन आवेदन-पत्र (Online Application) भरने की अन्तिम दिनांक तक अर्थात् 21.12.2017 तक जमा की जा सकेगी। उसके पश्चात् किसी भी स्थिति में जमा नहीं की जा सकेगी।

### 11. आवेदन कैसे करें:-

कोई भी आवेदक जिस श्रेणी (Category) के तहत आवेदन करने का पात्र है, वह उस श्रेणी (Category) में ही आवेदन करे।


**नोट:-** 1. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

#### कृपया ध्यान दें:-

1. ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक भरे जाने वाले आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे। आवेदक ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन में अंकित शर्तों व सुसंगत नियमों के तहत पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है तथा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा। इसलिए ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गयी सूचनाओं के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
2. ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गयी प्रविष्टियों को अन्तिम रूप से प्रेषित "**(Final Submit)**" कर देने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र विचारार्थ स्वीकार किया जाएगा।

### 12. प्रारंभिक परीक्षा का स्थान, माह एवं दिनांक:-

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभिक परीक्षा जयपुर एवं जोधपुर संभागीय मुख्यालयों पर लिये जाने की संभावना है। परीक्षा आयोजित किये जाने के स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है, लेकिन किसी भी आवेदक द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में एक बार चयनित कर

  
18.11.17

लिए गए स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अतः आवेदक ऑनलाईन आवेदन में परीक्षा केन्द्र का चयन करने से पूर्व भली प्रकार विचार कर लेवे। परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना पृथक से प्रसारित की जाएगी। परीक्षा आयोजित किए जाने वाले माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है।

13. मुख्य परीक्षा का स्थान, माह एवं दिनांक:-

मुख्य परीक्षा जयपुर एवं जोधपुर संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित किये जाने की सम्भवना है। परीक्षा के माह व दिनांक के संबंध में सूचना पृथक से प्रसारित की जाएगी। परीक्षा आयोजित किए जाने वाले स्थान, माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है।

14. अनापत्ति प्रमाण-पत्र:-

राजस्थान राज्य, पंचायत समितियों, जिला परिषदों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवारत व्यक्तियों को आवेदन करने से पूर्व ही अपने नियोक्ता को लिखित में सूचित कर इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय को आवेदक द्वारा अनुमति नहीं लिए जाने अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने के बारे में सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता (Candidature) तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

15. प्रवेश-पत्र (Admission Card):-

Admit card shall be available in candidate dashboard of Recruitment Portal. For this candidates shall be required to log into SSO Portal (<https://sso.rajasthan.gov.in/signin>) and then use Recruitment portal.

Note: It is desired that candidates do remember their respective SSO ID and Password, as without which they shall not be able to access Application form/ Admit card or Results.

16. महत्वपूर्ण सूचनाएँ:-

(1) प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित किये जाने के ठीक अगले दिन प्रश्न-पत्र की आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट <http://www.hcraj.nic.in> पर प्रकाशित कर दी जावेगी। इस प्रकार प्रकाशित की गयी आदर्श उत्तर कुंजी (Model Answer Key) पर अभ्यर्थियों द्वारा 10 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियां भिजवायी जा सकेंगी। तत्पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उक्तानुसार प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर सक्षम समिति द्वारा विचार कर, आवश्यकता होने पर, पुनरीक्षित उत्तर कुंजी प्रकाशित की जा सकती है तथा इसके साथ ही प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जा सकता है।


(2) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा-कक्ष/परीक्षा-केन्द्र के परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर एवं अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices) तथा पर्स इत्यादि कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर नहीं आएँ। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएँ, जैसे पेन, पेन्सिल, प्रवेश-पत्र या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एवं अनुज्ञेय सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है।

(3) जिस परिसर में भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर या अन्य कोई संचार यंत्र (any other electronic/communication devices) रखने की अनुमति नहीं है। ऐसी किसी वस्तु की सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान उच्च न्यायालय, किसी की भी नहीं होगी।

(4) परीक्षार्थियों को राजस्थान उच्च न्यायालय/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त/अधिकृत अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों की अनिवार्यतः पालना करनी होगी।

इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरुद्ध भविष्य में होने वाली परीक्षा में बैठने पर रोक सहित समुचित कानूनी एवं अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

(5) ऐसे आवेदक, जिनके द्वारा अन्तिम दिनांक तक ऑनलाईन आवेदन कर दिया गया है, उनको ही राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से परीक्षा में बैठने दिया जायेगा। किसी आवेदक को परीक्षा में बैठने के लिए केवल मात्र प्रवेश-पत्र जारी कर दिये जाने का यह अर्थ नहीं है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उसकी अभ्यर्थिता अन्तिम (Final) रूप से सही मान ली गई है अथवा आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियां राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सही और ठीक मान ली गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक की मूल प्रलेखों से व नियमानुसार पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन/महिला/विधवा/परित्यक्ता/राज्य कर्मचारी आदि के रूप में पात्रता की अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करने के आधार पर उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी अभ्यर्थिता (Candidature) किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा।






- (6) राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (यथासंशोधित) के अनुसार अपात्र पाये जाने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है अतः समस्त आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व नियमानुसार अपनी पात्रता की जांच स्वयं के स्तर पर कर लेवे।
- (7) राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की गाइड बुक आदि का अनुमोदन नहीं किया गया है।
- (8) **श्रुत लेखक की सुविधा**:- सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। केवल Rajasthan Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full participation), Rules, 2011 में वर्णित ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ हैं, उन्हें रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के कार्यालय को परीक्षा आयोजित किये जाने की दिनांक से 15 दिन पूर्व तक प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा श्रुत लेखक की सुविधा देय होगी, लेकिन अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए परीक्षार्थी को यह सुविधा देय नहीं होगी।
- (9) **अनुचित साधनों की रोकथाम**:- परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर उनके विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय, जो भी उचित समझें कार्यवाही कर सकता है जिसमें परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
- (10) कोई अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण का (Impersonation) या कूट रचित/छेड़छाड़ युक्त दस्तावेजात को प्रस्तुत करने (Submitting Fabricated or Tempered with Documents) का या अशुद्ध/असत्य कथन करने (Making Incorrect or False Statements) का या तात्विक सूचनाओं को छिपाने का (Suppressing Material Information) या परीक्षा में या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने या करने का प्रयास करने का (Using or Attempting to use Unfair Means in the Examination or Interview) या अन्यथा परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने या किसी साक्षात्कार हेतु बुलावा प्राप्त करने हेतु अन्य किसी अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेने का (Otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination or appearance at any interview) दोषी पाया जाता है या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दोषी घोषित किया जाता है, वह आवेदक/परीक्षार्थी स्वयं को आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाने के साथ-साथ राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी परीक्षा में प्रवेश लेने से या किसी भी साक्षात्कार में उपस्थित होने से स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित (Debarred) कर दिया जाएगा या राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन प्राप्त करने से वंचित (Debarred) कर दिया जाएगा।
- (11) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/भोजन भत्ता देय नहीं होगा।
- (12) समस्त अभ्यर्थियों को सभी संबंधित मूल दस्तावेज/प्रमाण-पत्र, जिनके आधार पर वे किसी भी प्रकार का दावा (Claim) करते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर (On being required) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

**हैल्प लाईन नम्बर:-**

1. आवेदन फॉर्म भरते समय उत्पन्न कठिनाईयों हेतु 0294-3057541.
2. परीक्षा शुल्क जमा कराने में उत्पन्न कठिनाईयों हेतु 0141-2221424 एवं 2221425.
3. उपरोक्त के अतिरिक्त परीक्षा संबंधित अन्य जानकारी हेतु 0291-2541042 एवं 2541388.

हैल्प लाईन (Help Line) नम्बरों पर कार्यालय समय के दौरान (During Office Hours) सम्पर्क करे।

आवश्यकता होने पर समस्त पत्र व्यवहार रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सम्बोधित किया जावे।

  
18.11.17  
रजिस्ट्रार (परीक्षा)